*दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान और आईबीसी - भविष्य की राह**

स्वामीनाथन जे.

काफराल के निदेशक, श्री बी.पी. कानूनगो; श्री एन. एस. विश्वनाथन पूर्व उप गवर्नर आरबीआई, श्रीमती इंद्राणी बनर्जी, अतिरिक्त निदेशक काफराल, काफराल के वरिष्ठ परामर्शदाता श्री दिवाकर गुप्ता, वित्तीय जगत के विशिष्ट अतिथि; देवियो और सज्जनो !

मुझे, *दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान और दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता - भविष्य की राह* विषय पर आयोजित इस अत्यंत सामयिक सम्मेलन में उपस्थित होकर खुशी हो रही है। मई 2016 में अधिसूचित आईबीसी ने एक व्यापक विधान पेश किया, जिसने भारत में दिवाला और ऋण शोधन की कार्यवाही के परिदृश्य में एक आदर्श बदलाव लाया। इसके माध्यम से वित्तीय संकट को हल करने के लिए अधिक संरचित, संस्थागत और समय-संवेदनशील दृष्टिकोण लाया गया।

आईबीसी अब लगभग आठ वर्षों से परिचालन में है। हालाँकि यह समय सीमा किसी कानून के जीवन चक्र में बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, आईबीसी अपने अधिनियमन के बाद से कई संशोधनों के साथ एक विकसित कानून रहा है। पिछले साल, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने एक सार्वजनिक परामर्श पत्र जारी किया था जिसमें कई संशोधनों का प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें चूक स्थापित होने वाले आवेदनों को अनिवार्य रूप से स्वीकार करना, सूचना उपयोगिताओं द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड पर निर्भरता बढ़ाना, समाधान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, आदि शामिल थे। इनके साथ-साथ कुछ अन्य प्रस्ताव भी शामिल थे। आईबीसी पेशेवरों, बैंकरों, कानूनी बिरादरी, विनियामकों और अन्य हितधारकों के बीच चर्चा का विषय रहा है। इसलिए, आईबीसी के कामकाज की समीक्षा करने और इसके भविष्य पर चर्चा करने का यह एक उपयुक्त समय है। मैं खुश हूँ कि काफराल ने वक्ताओं की एक शानदार सूची तैयार की है जिसमें प्रख्यात न्यायविदों, नीति निर्माताओं, बैंकरों और समाधान पेशेवरों को शामिल किया गया है जो अपने विविध दृष्टिकोण से इस सेमिनार को समृद्ध बनाएंगे।

आइए, मैं इस ऐतिहासिक विधान और आगे की राह पर अपने कुछ दृष्टिकोण साझा करके सत्रों और चर्चाओं की इस शृंखला को शुरू करूं।

आईबीसी द्वारा लाया गया उल्लेखनीय परिवर्तन

आईबीसी के प्रवर्तन से पहले, एक खंडित कानूनी ढांचा मौजूद था जिसके परिणामस्वरूप लंबी और अकुशल दिवाला कार्यवाही होती थी। दिवाला और शोधन अक्षमता के अलग-अलग पहलुओं से संबंधित विभिन्न कानून और नियम, सह-अस्तित्व में हैं, जिससे जटिलताएं, ओवरलैप और कभी-कभी विरोधाभास पैदा होते हैं। एक व्यापक कानून के अभाव में, आरबीआई ने दबावग्रस्त आस्तियों की धारणीय संरचना के लिए भी कॉर्पोरेट ऋण पुनर्गठन (सीडीआर) योजना, रणनीतिक ऋण पुनर्गठन (एसडीआर), योजना (एस 4 ए), जैसी कई योजनाओं के साथ शून्य को भरने का प्रयास किया था। इन योजनाओं को, जिन्हें कभी-कभी मीडिया के कुछ वर्गों में प्यार से 'वर्णमाला सूप' के रूप में संदर्भित किया जाता है, एक दिवाला कानून की वांछनीय विशेषताओं का अनुकरण करने का प्रयास किया गया।

व्यापक दिवाला कानून की अनुपस्थिति के कारण महसूस हुई कानूनी शून्यता को भरने के लिए आईबीसी को अधिनियमित किया गया था। इसकी मुख्य विशेषताओं में एक एकीकृत और समयबद्ध समाधान प्रक्रिया, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी), जैसे समाधान केंद्रित निर्णायक प्राधिकरणों की स्थापना, साथ ही भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) जो दिवाला कार्यवाही और पेशेवरों का प्रभावी विनियमन सुनिश्चित करेगा, की स्थापना शामिल है। आईबीसी ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) के गठन के माध्यम से कॉर्पोरेट दिवाला समाधान की सुविधा और निर्दिष्ट समय के भीतर समाधान नहीं होने पर एक संरचित परिसमापन प्रक्रिया भी प्रदान करता है, इस प्रकार एक अधिक सुव्यवस्थित और पारदर्शी प्रणाली में वृद्धि हुई।

---

* श्री स्वामीनाथन जे. , उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक का भाषण - 10 जनवरी 2024 - मुंबई में काफराल द्वारा दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान और आईबीसी पर आयोजित सम्मेलन में।

मेरे विचार में, आईबीसी एक कुशल समाधान व्यवस्था के पांच प्रमुख मानदंडों [1] को पूरा करता है, अर्थात्:

i. सबसे पहले, समाधान व्यवस्था को परिसमापन पर चिंता की स्थिति को प्राथमिकता देनी चाहिए। चिंताओं के आधार पर समाधान सामान्यत: इकाई के परिसमापन से अधिक मूल्यवान होता है।

ii. दूसरे, इसे लेनदारों को एक साथ आने और एक समाधान योजना तैयार करने के लिए मजबूर करना चाहिए जो कंपनी को वर्तमान चिंता के रूप में बनाए रखने के विकल्पों पर विचार करके मूल्य को संरक्षित करने का प्रयास करता है।

iii. तीसरा, समाधान व्यवस्था को समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना चाहिए ताकि दिवालिया जोखिम के लेनदारों के मूल्य में गिरावट को रोका जा सके।

iv. चौथा, इसे ऐसे संदिग्ध लेन-देन का पता लगाना चाहिए, जिसने चूककर्ता उधारकर्ता के वित्तीय दबाव में योगदान दिया हो।

v. अंत: में, यदि बहुसंख्यक लेनदारों का निर्णय अनुमोदन की पूर्वनिर्धारित सीमा को कवर करता है, तो एक प्रभावी समाधान व्यवस्था को 'क्रैमडाउन' के जरिए मेजॉरिटी लेनदारों को माइनॉरिटी से बचाना चाहिए।

सकारात्मक परिणाम

संहिता के नतीजे भी अब तक काफी अच्छे रहे हैं। इससे समाधान प्रक्रिया में पर्याप्त दक्षता आई है और वित्तीय ऋणदाताओं के लिए वसूली दरों में सुधार हुआ है।

एक बैंकर और पर्यवेक्षक के नजरिए से, आईबीसी द्वारा लाए गए विभिन्न सुधारों में से एक मौलिक बदलाव - 'देनदार के कब्जे' से में 'लेनदार का नियंत्रण' - मॉडल शायद सबसे प्रभावशाली में से एक है। इस बात के सबूत बढ़ रहे हैं कि देनदार अपने कारोबार पर नियंत्रण खोने के खतरे के कारण चूक से बच रहे हैं। मेरा मानना है कि इस बेहतर क्रेडिट अनुशासन ने अन्य बातों के साथ-साथ पिछले कुछ वर्षों में बैंकों की अनर्जक आस्तियों में उल्लेखनीय गिरावट में भी योगदान दिया है।

चुनौतियाँ और आलोचना

आईबीसी ने दिवाला परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से बदलते हुए चुनौतियों और आलोचनाओं का सामना किया है। समय पर समाधान, आईबीसी का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है जिसे कुछ परिचालन अक्षमताओं के कारण बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे समाधान प्रक्रिया में देरी होती है। एनसीएलटी और एनसीएलएटी के बुनियादी ढांचे, स्टाफिंग और समग्र क्षमता के बारे में चिंताएं उठाई गई हैं, जिससे समाधान तंत्र की प्रभावशीलता प्रभावित हो रही है। सीमापार दिवाला के लिए विकसित प्रावधान उन क्षेत्रों में भी योगदान करते हैं जहां आईबीसी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।

यह भी देखा गया है कि आईबीसी प्रक्रिया के माध्यम से वसूली प्रतिशत के बारे में कुछ चर्चाएं चल रही हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि आईबीसी एक वसूली ढाँचा के बजाय एक समाधान ढाँचा है और केवल रिकवरी प्रतिशत पर आधारित कोई भी टिप्पणी इस परिवर्तनकारी कानून के व्यापक उद्देश्यों और उपलब्धियों को नजरअंदाज कर सकती है। हालाँकि वसूली एक आवश्यक घटक हो सकती है, आईबीसी की असली ताकत कॉर्पोरेट वित्तीय दबाव को हल करने, उद्यम मूल्य को संरक्षित करने, विभिन्न हितधारकों के हितों की रक्षा करने और इस तरह समग्र आर्थिक स्थिरता में योगदान करने के उद्देश्य में निहित है। इसलिए, एक सूक्ष्म मूल्यांकन जो कॉर्पोरेट व्यवहार पर परिवर्तनकारी प्रभाव, समाधान प्रक्रिया की दक्षता और व्यावसायिक मूल्य के संरक्षण पर विचार करे, आईबीसी की सफलता और प्रभावशीलता की व्यापक समझ के लिए आवश्यक है।

[1] दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान और आईबीसी, 30 अप्रैल 2022 को भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद में दिवाला और शोधन अक्षमता पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन में श्री एम राजेश्वर राव, उप गवर्नर, आरबीआई द्वारा दिया गया भाषण।

आगे की राह

भारत 2047 तक एक विकसित देश बनने की आकांक्षा रखता है। लेकिन, ऐसा होने के लिए, हमें देश में उपलब्ध सभी संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग करने की आवश्यकता है, चाहे वह जनसांख्यिकीय लाभ हो, या भौतिक संसाधन। तेज़ आर्थिक संवृद्धि के महत्वपूर्ण समर्थकों में से एक व्यवसाय सुगमता है।

एक व्यवस्थित समाधान ढाँचा 'व्यवसाय सुगमता' से निकटता से संबंधित है, जो व्यवसाय के माहौल को कई तरीकों से प्रभावित करता है। व्यवसाय एक गतिशील वातावरण में संचालित होते हैं जहाँ सफलता या विफलता हो सकती है। एक व्यवस्थित समाधान प्रक्रिया आसान निकास की अनुमति देती है। यह पूंजी क्षरण को कम करता है और पूंजी के कुशल पुनर्चक्रण की सुविधा प्रदान करता है। इसके अलावा, एक व्यवस्थित समाधान तंत्र वित्तीय संकट से निपटने के लिए एक पारदर्शी और पूर्वानुमानित प्रक्रिया प्रदान करके निवेशकों में विश्वास पैदा करता है।

व्यवसाय अपने संचालन और विस्तार के लिए ऋण पर निर्भर हैं। व्यवस्थित समाधान और क्रेडिट लागत वित्तीय परितंत्र के भीतर परस्पर जुड़े हुए तत्व हैं। प्रत्याशित हानि एक प्रमुख कारक है जो इस क्रेडिट लागत को निर्धारित करता है। प्रत्याशित हानि बदले में 'डिफॉल्ट की संभावना' से प्रेरित होती है और समाधान पर आज के संदर्भ में अधिक प्रासंगिक, 'चूक पर हानि' या एलजीडी से प्रेरित होती है। इसलिए, एलजीडी को न्यूनतम करने के लिए समाधान प्रक्रिया को कुशल बनाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, जब उधारदाताओं को यह विश्वास होता है कि वे अपना पैसा अधिक विश्वसनीय और समय पर वसूल कर सकते हैं, तो वे उधार देने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं जिससे अर्थव्यवस्था में ऋण के प्रवाह को बढ़ावा मिलता है, जिससे व्यापार और आर्थिक संवृद्धि को समर्थन मिलता है।

एक बैंकर के दृष्टिकोण से, यह अंडरराइटिंग चरण में ही शुरू होता है। बैंकर अपना निर्णय उधारकर्ता की व्यवहार्यता के आधार पर लेते हैं। हालाँकि, समाधान के लिए दबाव की संभावना और ऋणदाताओं को आस्तियों की वसूली में संभावित चुनौतियों का सामना अंडरराइटिंग चरण में ही करना पड़ सकता है।

समाधान चरण में, प्रमुख ऋणदाताओं के रूप में, बैंक ऋणदाताओं की समिति या सीओसी में भी भाग लेते हैं, जिन्हें समाधान प्रक्रिया के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लेने का काम सौंपा जाता है। सीओसी में प्रतिनिधित्व के लिए वित्तीय कौशल, कानूनी समझ और उद्योग ज्ञान सहित विविध कौशल की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, प्रक्रिया की समयबद्ध प्रकृति को देखते हुए, सीओसी को उपलब्ध विकल्पों का व्यावहारिक मूल्यांकन करने और तेजी से निर्णय लेने के उद्देश्य से कार्य करने की आवश्यकता है। इसलिए, बैंकों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उनके नामांकित व्यक्तियों को पर्याप्त ज्ञान और अनुभव प्राप्त हो। जानकारी साझा करने, समाधान योजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन करने के साथ-साथ समाधान पेशेवरों और अन्य हितधारकों के साथ सहयोग में उनकी सक्रिय भागीदारी समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है।

आईबीसी की सफलता कुशल समाधान पेशेवरों की विशेषज्ञता और दक्षता पर भी निर्भर करती है। उन्हें विधि के गहन ज्ञान के साथ-साथ मजबूत बातचीत और प्रबंधन कौशल के अलावा वित्त की बारीकियों की अच्छी समझ होनी चाहिए। मेरा मानना है कि भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड पहले से ही समाधान पेशेवरों के लिए आवश्यक विशेष कौशल और ज्ञान प्रदान करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। भारतीय बैंक संघ और काफराल भी प्रभावी क्षमता वृद्धि के लिए ऐसी पहल में आईबीबीआई के साथ सहयोग कर सकते हैं।

सरकार और न्यायपालिका की ओर से, बढ़ते मामलों को कुशलतापूर्वक संभालने के लिए एनसीएलटी और एनसीएलएटी जैसे निर्णायक अधिकारियों की क्षमता के निर्माण में निवेश करने की सख्त जरूरत है। इन संस्थानों में पर्याप्त स्टाफिंग, प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे से समाधान में तेजी लाने में काफी मदद मिलेगी। वास्तव में, पिछले साल सरकार ने रिक्तियों को भरने के लिए उपाय किए थे और यह समझा जाता है कि निर्णय लेने वाले अधिकारियों की ताकत बढ़ाने के प्रस्ताव भी विचाराधीन हैं। प्रवेश में देरी को कम करने के प्रयास भी किए जा सकते हैं, मसलन - स्वयं को व्यवस्थित करने के साथ-साथ प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत बनाना। उदाहरण के लिए, मैं समझता हूं कि इस संबंध में एक प्रस्ताव सूचना उपयोगिताओं (आईयू) में डेटा जमा करने को

सुव्यवस्थित करना और आईयू के पास उपलब्ध डेटा के आधार पर प्रवेश की अनुमति देना है। मामलों के तेजी से निपटान की सुविधा के लिए नवीन प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान भी तलाशे जा रहे हैं।

नए कानूनों की शुरूआत अक्सर समायोजन और व्याख्या की गुंजाईश लाती है क्योंकि हितधारक, कानूनी पेशेवर और न्यायपालिका कानून की जटिलताओं से जूझते हैं। आईबीसी के संदर्भ में, इसमें शामिल महत्वपूर्ण जोखिमों के कारण यह घटना और बढ़ गई है। दिवाला कार्यवाही में शामिल पक्ष निचली अदालत के फैसलों को चुनौती देते हुए अपील और समीक्षा याचिकाएं दायर करते हैं। हालाँकि किसी भी पक्ष को वैध कानूनी सहारा लेने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इन कार्यवाहियों का उपयोग अक्सर चूककर्ता उधारकर्ताओं द्वारा देरी की रणनीति के रूप में किया जाता है और समाधान समय-सीमा में देरी होती है। उम्मीद है कि जैसे-जैसे कानून परिपक्व होगा, न्यायिक व्याख्या और मिसालें सामने आएंगी, जो बारीकियों को समझने में मदद करेंगी, जिससे अंततः भविष्य में देरी कम होगी। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कुछ न्यायिक व्याख्याएँ दक्षता बढ़ाने और समाधान व्यवस्था के परिणामों में सुधार लाने के उद्देश्य से आगे के सुधारों की आवश्यकता को प्रेरित कर सकती हैं।

सुधार एजेंडा के नजरिए से, आईबीसी के कुछ पहलू भी हैं जिन पर आगे विधायी विचार की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, समूहों के समाधान और कॉर्पोरेट समूहों के समाधान पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अक्सर ऐसे समूहों में जटिल कॉर्पोरेट संरचना होती है जिसमें परस्पर संबंधित पार्टी संबंध होते हैं जो जटिलता को बढ़ाते हैं और व्यक्तिगत इकाई के समाधान में बाधा बन जाते हैं। इसी प्रकार, बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और बीमा कंपनियों जैसे वित्तीय सेवा प्रदाताओं के लिए एक व्यापक समाधान ढांचे का एजेंडा अधूरा भी है। वित्तीय संस्थानों के समाधान के लिए आईबीसी जैसे विधायी ढांचे की अनुपस्थिति में, एनबीएफसी के समाधान के लिए आईबीसी का उपयोग किया गया है। मुझे लगता है कि इस सम्मेलन में इन और कई अन्य उपायों पर बहस होगी, जिनके बारे में आने वाले दिनों में और अधिक कुशल आईबीसी प्रक्रिया लाने के बारे में सोचा जा सकता है।

निष्कर्ष

निष्कर्ष के तौर पर, आईबीसी एक ऐतिहासिक कानून है जिसने देश में दिवाला और समाधान ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया है। क्रेडिट संस्कृति में स्पष्ट सुधार हुआ है, जो एनपीए में उल्लेखनीय गिरावट और प्रवेश चरण से पहले ही बढ़े हुए समाधानों से स्पष्ट है। इसके अलावा, सरकार द्वारा महत्वपूर्ण बुनियादी काम किया गया है और उम्मीद है कि संसद द्वारा कानून बनने के बाद सुधारों का अगला सेट आईबीसी को और मजबूत करेगा। हालाँकि, सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, विशेषकर समाधान प्रक्रिया की समयबद्धता के संबंध में।

इन समापन टिप्पणियों के साथ, मैं आज यहां अपने विचार साझा करने के अवसर के लिए एक बार फिर काफराल को धन्यवाद देता हूं। मुझे यकीन है कि सम्मानित प्रतिभागियों द्वारा साझा किए गए विचार-विमर्श और अंतर्दृष्टि, दिवालियापन और शोधन अक्षमता के क्षेत्र में ज्ञान के भंडार में योगदान देंगे, नवीन समाधानों को बढ़ावा देंगे और अधिक मजबूत और कुशल वित्तीय परिदृश्य का मार्ग प्रशस्त करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सम्मेलन के नतीजों से न केवल प्रतिभागियों को लाभ होगा बल्कि व्यापक आर्थिक परितंत्र पर भी दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। आयोजकों, वक्ताओं और प्रतिभागियों को ज्ञानवर्धक और सफल आयोजन की शुभकामनाएं। धन्यवाद !